राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

दिनांक 02.03.2016 को सांय 4.00 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 02.03.2016 को सांय 4.00 बजें मुख्यसचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन समिति कक्ष प्रथम, शासन सचिवालय में किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में सर्वप्रथम शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा एजेन्डा बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। विचार विमर्श के पश्चात एजेन्डावार क्रमशः निम्न निर्णय लिये गये :–

1. राज्य कार्यकारी समिति की दिनांक 22.12.2015 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के सभी बिन्दुओं की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसे समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

2. सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने अवगत करवाया कि राज्य के 50 नगर निकायों में अग्नि शमन हेतु कोई व्यवस्था नहीं है तथा वर्तमान वित्त आयोग द्वारा भी अग्नि शमन हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में स्वायत्त शासन विभाग के पास अग्नि शमन वाहनों के लिये फण्ड की भारी कमी है। अतः एस.डी.आर.एफ. से फण्ड उपलब्ध करवाया जावे। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में एस.डी.आर.एफ. में अत्यल्प राशि ही उपलब्ध है और यदि भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है तो भी ज्ञापन में दी गयी प्राथमिकताओं के अनुसार अकाल प्रभावित क्षेत्रों में अकाल राहत एवं पशु संरक्षण गतिविधियॉ चलायी जानी है। अतः अग्नि शमन वाहनों के लिये वर्तमान में बजट की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। मुख्य सचिव महोदय ने सुझाव दिया कि इस संबंध में राज्य वित्त आयोग से वार्ता कर इस बाबत राशि की मांग की जा सकती है।

उपरोक्त के क्रम में शासन सचिव, वित्त विभाग ने भी अवगत करवाया कि एस.डी.आर.एफ. में बजट की उपलब्धता काफी कम है एवं राज्य मद से भी इस समय राशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अतः केवल 2 छोटे अग्नि शमन वाहनों के लिये ही अनुमति दी जावे। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव महोदय ने अग्नि सम्बन्धी आपदाओं से निपटने की तात्कालिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस संबंध में निर्देश दिये कि लगभग 33 लाख रूपये की लागत के केवल 10 अग्नि शमन वाहन उपलब्ध कराने हेतु स्वायत्त शासन विभाग को स्वीकृति जारी की जावे। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विधान सभा में आपदा राहत एवं सहायता मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन एवं तात्कालिक आवश्यकता पर विचार करते हुए इन 10 वाहनों में से प्राथमिकता के आधार पर नगर पालिका मन्डावा एवं नगर

पालिका तारानगर को 1–1 अग्नि शमन वाहन उपलब्ध कराते हुए शेष 8 अग्नि शमन वाहनों के लिये स्वायत्त शासन विभाग को अपने स्तर पर आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता तय कर वाहन उपलब्ध करावें। वर्तमान में बजट की अनुपलब्धता को देखते हुए उक्त स्वीकृति आगामी वित्तीय वर्ष में जारी की जावे।

3. स्वायत्त शासन विभाग के प्रस्ताव अनुसार जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर के लिये एक–एक एरियल हाईड्रोलिक प्लेटफार्म कम टर्न टेबल लेडर क्रय किये जाने हेतु राशि 71.00 करोड के प्रस्ताव पर पूर्व में स्वीकृत एवं विचाराधीन प्रस्तावों के क्रम में विचार किया गया –

(i) पूर्व में जयपुर एवं जोधपुर के लिए 5.50–5.50 करोड रूपये विभाग द्वारा एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म हेतु स्वीकृत किये गये थे।

(ii) परन्तु स्वायत्त शासन विभाग ने स्वंय के स्तर पर ही उक्त राशि को अजमेर एवं उदयपुर हेतु स्वीकृत कर राशि को स्थानान्तरित कर दिया था। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19 फरवरी, 2015 के निर्णयानुसार निदेशक स्वायत्त शासन विभाग से स्पष्टीकरण अपेक्षित था, जो अप्राप्त है।

(iii) स्वीकृति के अनुरूप नहीं होने के कारण उक्त प्रकरण को राज्य कार्यकारी समिति ने निरस्त करने का निर्णय लिया था।

(iv) माननीय आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मन्त्री महोदय द्वारा विभागीय मासिक समीक्षा बैठक में हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म क्रय हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा निम्नानुसार राशि की स्वीकृति इस उद्देश्य हेतु कुल लागत राशि में से शेष राशि स्वायत्त शासन विभाग अपने स्वयं के संसाधनों से व्यय करने की शर्त पर दिये जाने के निम्न प्रस्ताव राज्य कार्यकारी समिति में विचारार्थ रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं –

अ. उदयपुर एवं अजमेर नगर निकायों को राशि 5.50–5.50 करोड रूपये की नवीन स्वीकृति हेतु।

ब. जोधपुर एवं जयपुर के प्रकरणों में भी स्वीकृत की गयी राशि 5.50–5.50 करोड यथावत रखे जाने हेतु।

प्रमुख सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य में लगाये गये अग्नि सेस के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया कि पालिकाओं के पास 100 करोड के लगभग राशि प्राप्त की गई है, जिसे उक्त कार्य हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य कार्यकारी समिति का क्षेत्राधिकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं मार्गदर्शिका के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एवं राज्य आपदा मोचन निधि से प्राप्त राशि का निर्धारित उद्देश्यों के लिये उपयोग निश्चित करना है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रभारित उपकर से प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही कार्यवाही अपेक्षित है। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि अग्नि शमन व्यवस्थाओं हेतु शहरी क्षेत्र के लिये नोडल विभाग नगरीय आवासन विभाग तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये राजस्व विभाग है। अतः अग्नि शमन संबंधी समस्त

प्रकार की व्यवस्थाऐं नोडल विभागों द्वारा ही सुनिश्चित एवं सम्पादित की जानी चाहिये।

उदयपुर एवं अजमेर हेतु हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म क्रय के लिये प्रस्तावित किया गया था किन्तु समिति द्वारा तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उदयपुर में तथा तेजी से विकसित होते हुए औद्योगिक क्षेत्र एवं बहुमंजिला इमारतों के कारण भिवाड़ी में इसकी आवश्यकता को प्राथमिकता देते हुए स्वायत्त शासन विभाग को 5.50–5.50 करोड रूपये की राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस.डी.आर. एफ. में पर्याप्त बजट की उपलब्धता होने पर तथा विभाग द्वारा लागत में से शेष राशि स्वंय के संसाधनों से वहन किये जाने की सहमति दिये जाने की शर्त पर स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया गया। जयपुर एवं जोधपुर के लिये पूर्व में स्वीकृत राशि 5.50–5.50 करोड़ रूपये को यथावत उपयोग में लिये जाने हेतु भी स्वायत्त शासन विभाग द्वारा लागत की शेष राशि स्वयं के संसाधनों से वहन किये जाने की सहमति दिये जाने पर अनुमति दिये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं अजमेर हेतु हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म क्रय करने के सम्बन्ध में एक पत्रावली मुख्यमन्त्री कार्यालय में निर्णयार्थ प्रक्रियाधीन है। अतः मुख्य कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर उक्त तीन जिलों एवं औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी हेतु हाईड्रोलिक लेडर प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्णय हेतु पत्रावली माननीया मुख्यमन्त्री महोदया को प्रस्तुत की जावे।

4. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि खरीफ फसल 2015 (संवत 2072) में राज्य के 19 जिलों के 14487 गॉवों को 50 प्रतिशत व अधिक खराबा के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया व इसके लिये आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया है परन्तु अभी तक भारत सरकार से सहायता राशि प्राप्त नहीं होने के कारण कृषि आदान अनुदान, पशु संरक्षण गतिविधियों एवं अन्य राहत गतिविधियों का संचालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर प्राथमिकता तय कर उपलब्ध राशि के अनुसार राहत गतिविधियों का संचालन किया जावे। शासन सचिव, वित्त विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि एस.डी.आर.एफ. में राज्य सरकार के अंश के अलावा वित्त विभाग द्वारा अन्य कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई जा सकेगी, परन्तु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा ओलावृष्टि के लिये राज्य सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज के अनुसार एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स दिनांक 8.4.2015 में कवर नहीं होने वाली गतिविधियों के लिये वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रावधित की गयी राशि के उपयोग किये जाने की सहमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। वित्त सचिव द्वारा इस संबंध में अवगत कराया कि जिन प्रस्तावों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा पत्रावली पर सहमति दी गई है, उन पर वित्त विभाग सहमत है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि बजट की उपलब्धता को देखते हुए कृषि आदान अनुदान में भी प्राथमिकता तय की जावे व प्राथमिकता से पहले उन किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरित किया जावे जिनकी फसलों में

75 प्रतिशत से अधिक का खराबा हुआ है। शेष कृषकों को अनुदान व अन्य राहत गतिविधियॉ बजट की उपलब्धता के अनुसार ही संचालित की जावे।

5. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा पशु संरक्षण गतिविधियॉ यथा– चारा डिपो, गौशालाओं को अनुदान तथा पेयजल आपूर्ति के संबंध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में निम्नानुसार मांग प्राप्त हुई है –

(i) माननीया विधायक मसूदा जिला अजमेर द्वारा तहसील भिनाय, मसूदा एवं विजयनगर में पशु पालकों को राहत प्रदान करने के लिए चारा डिपो के संचालन हेतु।

(ii) माननीय जिला प्रमुख भीलवाडा द्वारा चारा डिपो खोलने हेतु।

(iii) प्रतापगढ जिला गौसेवा संघ, प्रतापगढ द्वारा आदिवासी क्षेत्र प्रतापगढ जिले की गौशालाओं को सहायता हेतु।

(iv) सरपंच, ग्राम पंचायत सिणली जागीर पंचायत समिति बालोतरा (बाडमेर) द्वारा चारा डिपो एवं पशु शिविर खोलने हेतु।

(v) जिला कलेक्टर करौली ने तहसील नांदौती के लिए माह अप्रेल, 2016 से जुलाई,2016 तक पेयजल आपूर्ति हेतु राशि रू0 68.40 लाख दिये जाने हेतु। जिला करौली का कोई भी गॉव अभावग्रस्त नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में संबंधित जिला कलेक्टरों से वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की जावे एवं आवश्यक हो तो प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये जावें।

6. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि रबी फसल 2015 (संवत 2071) में ओलावृष्टि से राज्य के 31 जिलों की फसलों में 33 से 100 प्रतिशत तक खराबा हुआ है। भारत सरकार को प्रेषित ज्ञापन के समय जिलों द्वारा सूचित प्रभावित काश्तकारों की संख्या 28.35 लाख रिकार्ड की गई थी परन्तु जिलों द्वारा अब तक 29.53 लाख काश्तकारों को लाभान्वित किया गया है जो पूर्व की संख्या की 1.18 लाख अधिक है।

जिला कलेक्टरों द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचनानुसार प्रभावित काश्तकारों की संख्या से अधिक संख्या में काश्तकारों को लाभान्वित करने के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण के परीक्षण पश्चात भुगतान संबंधी निर्णय लिये जाने के प्रस्ताव का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया व निर्णय लिया गया कि वित्तीय अनुशासन एवं वास्तविक पात्र व्यक्तियों को समुचित राहत सहायता की प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से भविष्य में जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जावे कि अकाल राहत गतिविधियॉ प्रारंभ करने से पूर्व ही सहायता के लिये पात्र काश्तकारों की संख्या निर्धारित कर उन्हीं पात्र काश्तकारों को सहायता वितरित हो, यह सुनिश्चित किया जावे।

7. मानसून अवधि वर्ष 2014 में बाढ/अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ की स्थिति से क्षतिग्रस्त सडकों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनःस्थापना कार्य पेटे बकाया

देनदारियों के भुगतान हेतु 98.83 लाख के बजट आवंटन के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित किया गया –

जिला कलेक्टर जालोर को सा.नि.वि. खण्ड जालोर एवं भीनमाल की 31 क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत हेतु दिनांक 25.11.14 को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दिनांक 24.3.15 को राशि रूपये 118.92 लाख का बजट आवंटन किया गया। जिला कलेक्टर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के तुरन्त बाद ही पंचायत आम चुनाव 2014 की घोषणा (अधिसूचना) जारी होने के कारण इन कार्यो को शुरू नहीं कराया जा सका एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 में उक्त राशि का उपयोग संभव न होने के कारण आवंटित की गयी राशि लेप्स हो गई।

जिला कलेक्टर द्वारा 2015–16 में पूर्व वर्ष की स्वीकृति को पुनर्वेध कराये बिना माह अप्रेल, 2015 में निविदाएं आमन्त्रित कर माह मई, जून, 2015 में कार्य पूर्ण कराये गये, जिस पर कुल 98.83 लाख व्यय हुआ। उक्त करवाए गये कार्यो का भुगतान संबंधित एजेन्सी को किये जाने हेतु जिला कलेक्टर जालोर द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राशि रूपये 98.83 लाख के बजट की मांग की गई है

राज्य कार्यकारी समिति द्वारा जिला कलेक्टर जालोर को भविष्य में बिना स्वीकृति कार्य नहीं कराने की हिदायत के साथ उक्त कार्य हेतु विभागीय स्वीकृति को 2015–16 हेतु पुनर्वेध की जाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया।

8. National Disaster Management Services (NDMS) Pilot Project for VSAT Based Communication Network Connecting all States/UTs के तहत–

(i) इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण नई दिल्ली, भारत संचार निगम एवं राजस्थान राज्य के मध्य MOU होना है।

(ii) उक्त प्रोजेक्ट के तहत सम्पूर्ण भारत के लिए 19.54 करोड व्यय किये जाने है

(iii) राशि का वहन एन.डी.एम.ए. द्वारा ही किया जाना है, जिसमें मुख्यतः भुगतान भारत संचार निगम को ही किया जाना है

(iv) राज्य सरकार/ए.डी.आर.एफ. मद से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाना है।

(v) इसका मुख्य उद्धेश्य स्टेट इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के साथ–साथ राज्य के दो जिलों (जिनको एन.डी.एम.ए. ने संवेदनशील माना है) के जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर को VSAT Based Communication Network उपलब्ध करवाना है।

राजस्थान राज्य के जयपुर, अलवर एवं जोधपुर में स्थित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर का चयन किये जाने के संबंध में किये जाने वाले MOU का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

17/3/16

शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकःएफ.1(1)(5) आ.प्र.एवं सआ/सामान्य/IV/2007/2773-82 जयपुर, दिनांक 18.3.16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, एवं उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर
8. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर
9. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर
10. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर

शासन उप सचिव